Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to rescind the notification declaring villages under Narmada district as 'Eco-Sensitive Zones'-laid.

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): गुजरात के मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंतर्गत नर्मदा जिले में अधिसंख्य आदिवासी लोग निवास करते हैं तथा अपनी आजीविका के लिए ये लोग वनोपजों के साथ ही पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। नर्मदा जिले के कुल 121 गांवों को भारत के राजपत्र के माध्यम से "इको-सेंसिटिव जोन" में शामिल किया गया है। "इको-सेंसिटिव जोन" के तहत उपरोक्त गांवों में किसानों की विधिक मालिकाना हकवाली जमीनों में सरकारी लोगों ने दखल देना शुरू कर दिया है। "इको-सेंसिटिव जोन" में शामिल उपरोक्त गांवों में सीधे सरकारी दखल के चलते आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियाँ निषिद्ध होने के साथ ही उनके सामाजिक विकास और आजीविका के नुकसान होने का खतरा है। देश का यह वंचित वर्ग सरकार से अपने जंगल और जमीन से छेड़छाड़ किए बिना अपने कल्याण परक विकास की अपेक्षा रखता है। नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आस-पास के क्षेत्र के साथ ही तेजी से विकसित हो रहे मालसामोठ आदि क्षेत्रों को भी "इको'सेंसिटिव जोन" के दायरे से तत्काल मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि आदिवासी बाहुल्य नर्मदा जिले में शांति और विकास के लिए "इको-सेंसिटिव जोन" की अधिसूचना को तत्काल रद्द करवाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें।